कमांक नं0..........

औद्योगिक प्रशिक्षण एंव व्यवसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

विवरण पत्रिका

सत्र 2010–2012

राजकीय कला स्कूल, रोहतक

तथा

प्राईवेट आर्ट एण्ड काफट टीचर ट्रेनिंग केन्द्रों

में दाखिला हेतु

आवेदन पत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि 06.07.2010

मूल्य 30/– रूपये

1. परिचय :

राजकीय कला स्कूल, रोहतक की स्थापना हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने से पहले ही संयुक्त पंजाब के समय में हुई थी। यह कला स्कूल हरियाणा राज्य में अपने प्रकार का एकमात्र स्कूल है जो कि शिक्षा विभाग के लिये कला अध्यापकों की पूर्ति उसी समय से करता आ रहा है । इस कला स्कूल में सभी अध्यापकगण प्रशिक्षित एंव कुशल है। कला स्कूल रोहतक में छात्र/छात्राओं दोनों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्कूल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोहतक के प्रांगण में स्थित है। इसके अतिरिक्त विभाग प्राईवेट संस्थानो को भी आर्ट एण्ड काफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलाने की अनुमति प्रदान करता है ।

2 उद्देश्य :

'स्वरोजगार हेतु एंव शैक्षणिक स्कूलों के लिए आर्ट एण्ड काफ्ट /ड्राईंग विषय के अध्यापकों को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना ।

3 दाखिले के लिए निर्धारित योग्यताएं :–

10 + 2 under the 10 + 2 System with minimum 50% marks with Drawing as compulsory subject in 10th / Matric"

OR

"10+2 with 50% marks & Painter Trade under NCVT or SCVT from a recognized Institute.

OR

10+2 with Commercial Art or drawing and painting from a recognized Institute/ University with minimum 50% marks".

OR

"10+ 2 with Fine Arts subject from a recognized Institute/ University with minimum 50% marks".

OR

"Graduate with fine Arts subject from a recognized Institute/ University with minimum 50% marks in 10 + 2".

OR

"Post Graduate with Fine Art subject from a recognized Institute/ University with minimum 50% marks in 10 + 2".

OR

"10+2 pass with Visual Arts subject under the Vocational Education Scheme from reconigized institute/ University with minimum 50 % marks"

Note: Weightage of higher qualification will be given as under

i) Graduate in any discipline : 3%
ii) Post graduate : 5%

Note : Merit list will be prepared on the basic of percentage of marks obtained in 10+2.

4. प्रशिक्षण अवधि : 2 वर्ष

5 आयु सीमा :

पहली जुलाई 1.7.2010 को प्रार्थी की आयु 15 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपरी आयु सीमा 45 वर्ष है।

6. आरक्षण :

दाखिले के लिए विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण नियमानुसार निम्न प्रकार दिया जायेगा :–

1.	अनुसूचित जाति	20 प्रतिशत	
2.	पिछडे वर्ग	27 प्रतिशत	16 प्रतिशत खण्ड 'ए' के लिए 11प्रतिशत खण्ड 'बी' के लिए
3.	फिजीकल हैंडीकैप	3 प्रतिशत	1 प्रतिशत अन्धे/लो विजन 1 प्रतिशत बधिर 1 प्रतिशत लोकोमोटिव डिसैबिलिटी तथा सिरेबरल पोलसी

नोट :विकलांगता बारे केवल सरकार द्वारा गठित मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य हैं ।

<u>महिलाओं हेतू आरक्षण</u> :–

सभी संस्थानो मे दाखिले हेतू सभी श्रेणियों में 30 प्रतिशत सीटे महिलाओं हेतू आरक्षित है ।

7. सभी सीटें हरियाणा वासियों के लिए है। सभी संस्थानो (सरकारी तथा गैरसरकारी) में उपलब्ध सीटों के प्रति आवेदनकर्ताओं की एक संयुक्त मैरिट सूची जिसमें सभी वर्ग के प्रत्याशी शामिल होगें, तैयार की जाएगी। इसमें से 90 प्रतिशत ऐसे प्रत्याशियों को दाखिला दिया जायेगा जो हरियाणा राज्य के निवासी हों जिन्होंने दाखिले हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हरियाणा राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूलों से प्राप्त की है तथा बाकी 10 प्रतिशत ऐसे प्रत्याशियों को दाखिला दिया जायेगा जो हरियाणा के निवासी है, किन्तु उन्होने दाखिले हेतु निर्धारित अनिवार्य योग्यता अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त स्कूलों से ग्रहण की हैं, परन्तु ऐसी योग्यता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इस बारे प्रमाण–पत्र प्रार्थी को स्वयं अपने स्तर पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानी से प्राप्त करके अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा । ऐसे 10 प्रतिशत प्रत्याशियों को दाखिला उसी स्थिति में दिया जायेगा अगर वे मैरिट में ऐसे प्रत्याशियों, जिन्होने निर्धारित अनिवार्य श ैक्षणिक योग्यताऐं हरियाणा राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूलों से प्राप्त की हों, उनसे उपर मैरिट प्रतिशतता में आते होगें। जिन प्रार्थियों ने दाखिले हेतू निर्धारित अनिवार्य शैक्षिणिक योग्यताऐं अन्य राज्यों से प्राप्त की हुई है उन्हें हरियाणा राज्य का रिहायशी प्रमाण पत्र अपने दाखिला प्रमाण पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है अन्यथा उसका फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

8 <u>दाखिला</u> :

दाखिला मैरिट के आधार पर किया जाएगा, आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों/मार्कशीट तथा चरित्र प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतियां अवश्य सलंग्न करें अन्यथा प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा। प्रार्थना पत्र सम्बन्धित संस्थान में 06.07.2010 को बाद दोपहर 4.00 बजे तक जमा करवाने अनिवार्य है इसके बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएगें। दिनांक 08.07.2010 को प्रातः 11.30 बजे सभी उम्मीदवार राजकीय कला स्कूल, रोहतक में नोटिस बोर्ड पर अपनी मैरिट सूचियां देख सकते है एंव 09,10,12,14तथा15.07.2010 को प्रातः 9.30 बजे राजकीय कला स्कूल, रोहतक के भवन में साक्षात्कार/दाखला होगा । साक्षात्कार की तिथियां निम्न प्रकार से हैं:–

Date for receipt of forms : 24-6-2010 to 06-07-2010(Till 4.00P.M)
Display of Merit List on Notice Board : 08-07-2010

1st Admission (65% and above)	: 09-07-2010
(above 60%)	:10-07-2010
All eligible candidates as per merit list	:12 -07-2010
2nd Admission	:14-07-2010
3rd Admission	:15-07-2010

प्रथम दो दाखिले के उपरान्त सभी आरक्षित श्रेणीयों की रिक्त सीटों को आगामी दाखिले हेतू जनरल पूल में डाल दिया जायेगा । तृतीय दाखिले उपरान्त सभी प्राईवेट आर्ट एंड काफ्ट केन्द्रों द्वारा प्रोविजनल दाखिला अपने स्तर पर किया जायेगा । 100 प्रतिशत सीटें हरियाणावासी छात्र/छात्राओं से भरी जानी होगीं। यद्यपि तीसरे दाखिले के दौरान दाखिला अन्य सभी राज्यों के निवासियों के लिये भी खोल दिया जायेगा तथापि यदि कोई हरियाणा वासी छात्र/छात्रा दाखिला हेतू उपस्थित होता है तो उसे वरीयता प्रदान करते हुये पहले दाखिला दिया जायेगा चाहे अन्य राज्य का निवासी छात्र/छात्रा मैरिट सूची में हरियाणा निवासी छात्र/छात्रा से उपर/ वरिष्ठ भी हो।

तृतीय दाखिले उपरान्त सभी प्राईवेट आर्ट एंड काफ्ट केन्द्रों द्वारा प्रोविजनल दाखिला अपने स्तर पर दिनांक 17.07.2010 से 02.08.2010 तक किया जायेगा । इस दाखिले में अन्य राज्यों को भी दाखिला दिया जा सकता है परन्तु छात्र उपलब्ध होने पर वरीयता हरियाणा राज्यों के उम्मीद्वारों को ही दी जायेगी । अन्तिम दाखिला प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जायेगा । इस प्रकार दाखिले की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा पर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित मुख्यअध्यापक/प्रधानाचार्य राजकीय कला स्कूल रोहतक को जमा करवाने अनिवार्य है । अस्थाई तौर पर दाखिल हुये छात्रों को दस्तावेज जांचने उपरान्त ही नियमित दाखिला दिया जायेगा तथा मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य राजकीय कला स्कूल रोहतक द्वारा रजिस्ट्रेशन नम्बर अलाट किये जायेगें।

सभी प्रार्थी साक्षात्कार के समय अपनी योग्यताओं, चरित्र तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ लायें । दाखिला उपरान्त मूल प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा को वापिस लौटा दिए जाएगें । कोई भी संस्थान छात्र/छात्रा के मूल प्रमाण पत्र प्रशिक्षण के दौरान नही रखेगे यद्यपि आवश्यकता पडने पर छात्र/छात्रा को मूल प्रमाण पत्र दिखाने हेतू निद्रेश दिए जा सकते हे व उनकी छाया प्रतियां रखी जाएगी। दाखिला कान्सलिंग के दौरान तुरन्त किया जायेगा तथा यदि प्रार्थी मौके पर फीस/सिक्योरिटी जमा नही करवायेगा तो उस अवस्था मे अगले प्रार्थी को मौका दिया जायेगा ।

1. साक्षात्कार के समय सभी प्रार्थी मूल प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतिया दाखिला फार्म के साथ संलग्न की गई है, अपने साथ लाएगें। इन मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रार्थी की योग्यता की जांच की जाएगी तथा योग्य पाए जाने पर मैरिट के आधार पर दाखिले हेतू विचार किया जाएगा। यदि प्रार्थी मूल प्रमाण पत्र दाखिला कमेटी के सम्मुख साक्षत्कार के समय प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसके दाखिले के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा ।
2. दाखिला हेतू साक्षात्कार निर्धारित तिथि को प्रातः 9.30 बजे से राजकीय कला स्कूल, रोहतक के भवन में आरम्भ किया जाएगा और लगातार बिना रूके कमानुसार पूर्ण कर लिया जाएगा।
3. साक्षात्कार के समय मैरिट सूची के अनुसार प्रार्थी का नाम, मैरिट सूचि का कमांक एंव प्रार्थी की मैरिट प्रतिशत को माईक पर तीन बार पुकारने पर भी

अगर प्रार्थी दाखिला कमेटी के सम्मुख उपस्थित नहीं होगा तो मैरिट सूची के अनुसार अगले प्रार्थी को दाखिले के लिए विचार कर लिया जाएगा । सम्बन्धित वर्ग के लिए उपलब्ध सीटों का दाखिला पूर्ण होने उपरान्त अगर अनुपस्थित रहने वाला प्रार्थी उपस्थित होता है तो उसके दाखिला के बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए अनुपस्थित रहने वाला प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा ।

4. साक्षात्कार की तिथि को सभी प्रार्थी 9.00 बजे उपस्थित होगें तथा अन्तिम छात्र/छात्रा के दाखिला होने तक सभी प्रार्थी उपस्थित रहेगें क्योकि यदि साक्षात्कार के अंत तक कोई सीट खाली रह जाती है/हो जाती है तो ऐसी अवस्था में मैरिट सूची के अगले प्रार्थी को दाखिले हेतु विचार किया जा सकता है।

5. नियमित कक्षाएं दिनांक 05.08.10 से आरम्भ की जाएगी ।

9 <u>फीस</u> :

क) राजकीय कला स्कूल,रोहतक :–

दाखिला के समय प्राप्त की जाने वाली राशि का ब्यौरा :

1. प्रतिभूति राशि	25/– रूपये
2. लाईब्रेरी सिक्योरिटी	20/– रूपये
3. स्टूडैण्ट फण्ड	10/– रूपये (प्रति मास)
4. पहचान पत्र की फीस	10/– रूपये
5. टयूशन फीस	45/– रूपये (तीन मास के लिये)
6. भवन फण्ड	120/– रूपये (प्रति वर्ष)

सभी छात्रों को 15/– रूपये प्रति मास–टयूशन फीस के रूप में देनी होगी। तीन मास की इकट्ठी फीस सितम्बर, दिसम्बर, मार्च एंव जून माह में 20 तारीख तक जमा करवानी होगी। 21 तारीख से 30 तारीख तक अर्थात अगले 10 दिन तक फीस एक रूपया प्रतिदिन जुर्माना के साथ जमा करवाई जा सकती है जो छात्र/छात्रा इस अवधि तक फीस जमा नहीं करवाऐंगे उनका नाम बिना कोई कारण बताए संस्थान से काट दिया जायेगा। छात्राओ से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी।

नोट : पाठ्यक्रम की संतोषजनक समाप्ति पर सरकारी देय (यदि कोई हो) की कटौती के बाद प्रतिभूति राशि वापिस कर दी जाएगी। यदि कोई छात्र/छात्रा कोर्स की समाप्ति से पहले स्कूल छोड जाता है, या उसका नाम किसी कारणवश काट दिया जाता है तो उस अवस्था में छात्र की प्रतिभूति राशि वापिस नहीं की जाएगी ।

ख) प्राईवेट आर्ट एण्ड काफट केन्द्रों द्वारा प्राप्त की जाने वाली फीस :–

The following fee structure is fixed for private un-aided Art and Craft Teacher Training Centre falling under the Deptt. of Industrial Training and Voactional Education, Haryana:

1. Tution Fee	Rs. 4800.00 per annum @ Rs. 1200/- per quarter (will be charged by the institute)
2. Training grant	Rs. 1200.00 per annum @ Rs. 300/- per quarter(will be charged by the institute, this includes raw material,electricity and water charges and other related expenses of students).
3. Library charges	Rs. 300.00 (One time deposit at the time of admission)
4. Admission fee	Rs. 300.00 (One time deposit at the time of admission)
5. Student Welfare Fund	Rs. 600.00 (This fund will be controlled by Director Industrial Training & Vocational Education,Haryana)
6. Maintenance Fund	Rs. 4800.00(One time deposit at the time of admission)
Total	Rs. 12000/-

Note :-

i) Tution fee shall be charged @ Rs. 1200/- per quarter at the beginning of quarter.

i) Charges mentioned at item no. 3, 4, 5, and 6 shall be charged. only once at the time of admission in the course in the Ist year only

10. संस्थान का समय व छुट्टियां :

संस्थान में प्रातः 9.00 बजे से बाद दोपहर 5.00 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है, 1.00 बजे से 1.30 बजे तक भोजन अवकाश का समय रखा गया है। हरियाणा राज्य द्वारा घोषित राजपत्रित अवकाश के दिनों में संस्थान बन्द रहेगा। छात्रों का आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश विभाग के नियमानुसार स्वीकृत किया जाएगा। शनिवार व रविवार अवकाश रहेगा । संस्थान में ग्रीष्म अवकाश अथवा शीतकालीन अवकाश नहीं होगा ।

11. परीक्षा

राजकीय कला स्कूल, रोहतक तथा प्राईवेट आर्ट एण्ड काफट टीचर ट्रेनिंग केन्द्रों की प्रथम तथा अन्तिम (Final 2nd year) परीक्षाएं विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी और पास शुद्वा छात्रो का प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा प्रदान किए जाएगें। केवल उन छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिनकी उपस्थितियां प्रत्येक विषय में कुल उपस्थिति कम से कम 80 प्रतिशत होगीं। प्रथम वर्ष की तथा अन्तिम (Final 2nd year) परीक्षाए कोर्स पूर्ण होने पर विभाग द्वारा ली जायेगी ।

12. वजीफा :

राजकीय कला स्कूल, रोहतक के प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 33.33 प्रतिशत छात्रों को निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर 45/– रूपए प्रतिमाह छात्रवृति दी जायेगी।

छात्रवृति की दर और इसकी शर्तो को समय–समय पर बदला जा सकता है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सभी छात्रों को 140/– रूपए प्रतिमाह छात्रवृति दी जायेगी।

भूतपूर्व सैनिको को 100/– रूपये प्रतिमाह तथा उनके आश्रितों को 40/– रूपये प्रतिमास की दर से छात्रवृति सैनिक बोर्ड द्वारा दी जायेगी। उपरोक्त छात्रवृति केवल उन्ही छात्रों को दी जायेगी जिनकी हाजरियां कम से कम 80 प्रतिशत होंगी।

13. प्रवास (Migration) :

किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवास एक प्राईवेट आर्ट एण्ड काफट टीचर ट्रेनिंग सैंटर से दूसरे प्राईवेट सैंटर में निम्नलिखित शर्तो पर किया जा सकता है:–

1. Both the organizations (Institute where the student is onroll and the institute where migration is sought) have no objection.
2. A student can be allowed migration if recommended by his/her institute and the seats are available in the institute where migration is sought.
3. Migration from private institute to private institute can be considered. No student will be allowed migration from private institute to Govt. institute.
4. Applications for migration received directly from the students will not be considered and will be filed summarily.
5. The students can apply for migration through their institute after two month of completion of admission of their batch.

14. अवकाश:–

छात्र/छात्राओं को अधिकतम 15 दिन का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितयो मे स्वीकृत किया जा सकता है परन्तु लगातार 10 दिन से अधिक का अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा । 15 दिन की अवधि तक चिकित्सा अवकाश संस्थान के मुखिया द्वारा सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत किया जाएगा। बगैर सूचना के 10 दिन से अधिक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र/छात्रा का नाम संस्थान से काट दिया जायेगा ।

15. पुनः दाखिला :–

यदि किसी छात्र/छात्रा का किसी कारणवश संस्थान से नाम कट जाता है/काट दिया जाता है तो संस्थान के प्रघानाचार्य की सिफारिश पर तथा सन्तोषजनक कारण होने पर निदेशालय द्वारा पुनः दाखिले की अनुमति प्रदान की जा सकती है

16 सामान्य निर्देश :

छात्रों को संस्थान में अनुशासन में रहना होगा, यदि कोई छात्र/छात्रा अनुशासन भंग करता/करती है तो उस अवस्था में ऐसे छात्र/छात्रा का नाम संस्था से काट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील न0 887 आफ 2009 दिनांक 8.5.2009 की जजमैन्ट के अनुसार संस्थानों में रैगिंग करना एक दण्डनीय अपराध है ।

सभी छात्र/छात्राओं को विभाग द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करनी होगी। कोई छात्र/छात्रा विभागीय नियमों/निर्देशों की अवहेलना करता है तो उस छात्र/छात्रा के प्रति आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसका नाम संस्था से काटा जा सकता है।

नोटः– आवेदन पत्र तथा विवरण पत्रिका विभागीय website www.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है । यदि आवेदन पत्र website से download करने उपरान्त भरा गया हो ो उस अवस्था में दाखिले के समय 30/–रू की फीस भी सम्बन्धित संस्थान में जमा करवाई जाये ।

कार्यालय राजकीय कला स्कूल, रोहतक

सत्र 2010—12

पावती

दाखिला फार्म कमांक..................

1. प्रार्थी का नाम :...

2. पिता का नामः..

प्रार्थी से निम्नलिखित दस्तावेज फार्म के साथ प्राप्त किये है।

सांक्ष्याकित फोटो प्रतियां

पद्ध चरित्र प्रमाण पत्र

पपद्ध दसवी के प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति

पपपद्ध 10+2 के प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति

पअद्ध अनुसूचित जाति/पिछडी जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति

अद्ध भूतपूर्व सैनिक/आश्रित प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति

अपद्ध ....

अपपद्ध ....

अपपपद्ध ....

दिनांक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

संस्थान की मोहर

सत्र 2010–12 में निम्नलिखित सरकारी एंव निजी संस्थानों मे दो वर्षीय आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स (प्रत्येक संस्थान में60 सीटों) हेतू दाखिला खुला है :–

1–राजकीय कला स्कूल रोहतक ।

2–जानकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र आर्दश नगर, बल्बगढ़, फरीदाबाद ।

3–भगवान शिव आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र, पांडु पिडारा, जीन्द ।

4–आर्य रामजस आर्ट एंड क्राफ्ट टी0टी0सी0गोबिन्द रोड़ सोनीपत।

5–मुखि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र, गोहाना, सोनीपत ।

6–हरियाणा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र,पाटुवास, महराणा,भिवानी ।

7–एस0सी0एम0, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र,राजली हिसार।

8–जनता आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र, बुटाना, सोनीपत ।

9–सी0आर0किसान आई.टी.सी.,(आर्ट एंड क्राफ्ट) जीन्द ।

10–किंडर किन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र, मोडल टाउन पानीपत ।

11–कन्या गुरूकल आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र,शादीपुर, जुलाना, जीन्द ।

12–हंसराज मैमोरियल आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र,किलोई रोहतक ।

13–सरस्वती विद्या आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्र, दनोदा कलान, जीन्द ।

14–श्रीकृष्णा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग केन्द्रगांव पाली,महेन्द्रगढ़

15–के0वी0एम0 स्कूल आफ आर्ट एंड क्राफ्ट, लाघोट रोड़, रोहतक ।

आवेदन पत्र कमांक संख्या...........

औद्योगिक प्रशिक्षण एंव व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

प्रवेश दाखिला प्रार्थना पत्र
2010–12
(उम्मीदवार प्रार्थना पत्र स्वयं भरें)

1. उम्मीदवार का नाम...
2. पिता का नाम ....माता का नाम..........................
व्यवसाय ....आय.......................कार्यालय.............................
स्थाई पता...
3. संरक्षक का नाम (यदि पिता जीवित न हो)...
व्यवसाय...
आय...................................कार्यालय..
4. पत्र व्यवहार का पता...
5. जन्म तिथि...
6. आयु दिनांक 1.7.2010 को.........................वर्ष....................महीने........................
7. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण–पत्रों में प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा अंकों की सूचना संलग्न करें)

क्रं0	वर्ष	परीक्षा जो पास की गई हो	स्कूल / कालेज का नाम	अधिकतक अंक	अंक प्राप्ति	प्राप्त अंको का प्रतिशात	परीक्षा विषय
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

8. क्या आप विकलांग है (यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)...........................
9. क्या आप अनुसूचित जाति / कबीले / पिछडी श्रेणियों / अपंग या भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित या किसी अन्य पिछडी श्रेणी के सदस्य है। (उत्तर हां या न मे दें)..
10. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या उनके पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा हैं (यदि हां तो प्रमाण संलग्न)..
11. आप कौन सा खेल खेलते हैं (यदि हां तो निर्देशक स्पोटस से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करें).......................................
12. आपने पहले किसी ट्रेड में प्रशिक्षण लिया है ? (यदि हां तो विवरण लिखें)..
....

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि क्र0 1 से 12 संख्या में दी गई सूचना मेरी जानकारी तथा विश्वास अनुसार बिल्कुल सत्य है। मैं यह भी जानता/जानती हूं कि यदि आवेदन–पत्र का कोई विवरण असत्य पाया गया तो मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

मै इस बात से परिचित हूं कि मुझे संस्थान में फीस व अन्य देय राशि जमा करवाने होगें और मुझे प्रशिक्षण केन्द्र के अनुशासन के अनुकूल रहना होगा और उन औजारों का जो मेरे पास होंगे, पूरा–पूरा ध्यान रखना होगा और मैं अपने आप प्रशिक्षण समाप्त होने तक कोर्स नहीं छोडूगा/छोडूगी।

मै आगे स्वीकार करता/करती हूं कि यदि मैं वचन का पालन नहीं करूगां/करूंगी तो सरकार को अधिकार होगा कि मुझसे मेरे प्रशिक्षण पर व्यय की गई रकम या ऐसी रकम जो सरकार उचित समझे, वसूल कर लेवे ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

नोटः– प्रार्थी फार्म के साथ Annexure-A भर कर सलंग्न करे ।

Annexure-A

<u>दाखिला सत्र 2010–12</u>

नोट : प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना, जिस व्यक्ति द्वारा भी सत्यापित की जाए, वह सत्य सूचना होनी चाहिए :–

1. प्रार्थी का नाम व पता..
2. रोल नं0...व्यवसाय..
3. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित).........
4. क्या विवाहित हैं ? ....
5. पिता/पति का नाम ....
6. माता का नाम ....
7. पिता/पति का व्यवसाय ....
8. पिता/पति की मासिक आय ....
9. संरक्षक का नाम (यह कालम तभी भरा जाए यदि पिता/पति जीवित ना हों) ....
10. संरक्षक का व्यवसाय...
11. सरक्षक के साथ प्रार्थी का सम्बन्ध...
12. प्रार्थी के पिता/पति के जीवित होने के बावजूद संरक्षक द्वारा सहायता देने के कारण..
13. संरक्षक की मासिक आय (आय सभी विस्तार स्त्रोतों सहित)..................................
14. क्या प्रार्थी पूर्ण रूप से विशेष रूप से पिता के संरक्षक में है................................
15. (क) परिवार के दूसरे सदस्यों की संख्या...
(ख) पिता/संरक्षक द्वारा वार्षिक आयकर की अदायगी का ब्यौरा..... ....
16. अचल सम्पति का ब्यौरा..
17. (क) पिता/संरक्षक द्वारा भूमिकर/मकान टैक्स की अदायगी बारे सत्यापित......
(ख) पिता/संरक्षक द्वारा वार्षिक आयकर की अदायगी का ब्यौरा..
18. प्रोविडैंट फण्ड बीमा के लिए की गई वार्षिक अदायगी..
19. क्या प्रार्थी के माता/पिता/संरक्षक अपने मकान में या किराए के मकान में रह रहें हैं...
20. पिता/संरक्षक पर निर्भर सदस्यों की संख्या...
21. क्या अनुसूचित जाति या पिछडे वर्ग से सम्बन्धित हैं...
पिछडे क्षेत्र, राजनितिक पीडितों, भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व सैनिक का पुत्र (प्रमाण पत्र की सांख्याकित प्रतियां लगाई जाए)..

हम प्रमाणित करते है कि उपर दिया गया विवरण हमारे ज्ञान अनुसार बिल्कुल ठीक है और कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।

तिथि....................   पिता/पति/संरक्षक के हस्ताक्षर   प्रार्थी के हस्ताक्षर

<u>वजीफे हेतू फार्म</u>

<u>दाखिला सत्र 2010–12</u>

औद्योगिक प्रशिक्षण एंव व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

राजकीय कला स्कूल, रोहतक

नोट : प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना, जिस व्यक्ति द्वारा भी सत्यापित की जाए, वह सत्य सूचना होनी चाहिए :–

1. प्रार्थी का नाम व पता..
2. रोल नं0...व्यवसाय..
3. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित).........
4. क्या विवाहित है?...
5. पिता/पति का नाम ....
6. माता का नाम ....
7. पिता/पति का व्यवसाय ....
8. पिता/पति की मासिक आय ....
9. संरक्षक का नाम (यह कालम तभी भरा जाए यदि पिता/पति जीवित ना हों).............संरक्षक का व्यवसाय..
10. सरक्षक के साथ प्रार्थी का सम्बन्ध..
11. प्रार्थी के पिता/पति के जीवित होने के बावजूद संरक्षक द्वारा सहायता देने के कारण..
12. संरक्षक की मासिक आय (आय सभी विस्तार स्त्रोतों सहित)..........................
13. क्या प्रार्थी पूर्ण रूप से/विशेष रूप से पिता के संरक्षण में है.........................
14. (क) परिवार के दूसरे सदस्यों की संख्या...
    (ख) पिता/संरक्षक द्वारा वार्षिक आयकर की अदायगी का ब्यौरा..................................
15. अचल सम्पति का ब्यौरा..
16. (क) पिता/संरक्षक द्वारा भूमिकर/मकान टैक्स की अदायगी बारे सत्यापित.............
    (ख) पिता/संरक्षक द्वारा वार्षिक आयकर की अदायगी का ब्यौरा..................................
18. प्रोविडैंट फण्ड बीमा के लिए की गई वार्षिक अदायगी...............................
19. क्या प्रार्थी के माता/पिता/संरक्षक अपने मकान में या किराए के मकान में रह रहें हैं..
22. पिता/संरक्षक पर निर्भर सदस्यों की संख्या...
23. क्या अनुसूचित जाति या पिछडे वर्ग से सम्बन्धित हैं.................................
    पिछडे क्षेत्र, राजनितिक पीडितों, भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व सैनिक का पुत्र (प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतियां लगाई जाए)................................

हम प्रमाणित करते है कि उपर दिया गया विवरण हमारे ज्ञान अनुसार बिल्कुल ठीक है और कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।

तिथि....................   पिता/पति/संरक्षक के हस्ताक्षर   प्रार्थी के हस्ताक्षर

<u>INCOME CERTIFICATE</u>

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL)/EXECUTIVE MAGISTRATE

As reported by Tehsildar/Naib Tehsildar, the annual income of Sh.

....F/O..

Resident of .... is Rs...

(Rupees..)

from all sources.

Place : ....

Date : ....

Sub Divisional Officer (C)/
Executive Magistrate
....
....